



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1482]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2019/वैशाख 10, 1941

No. 1482]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2019/VAISAKHA 10, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

**का.आ. 1667(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2756(अ), तारीख 22 नवंबर, 2012 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 0.000 कि.मी. से 65.000 कि.मी. (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ 1356(अ), तारीख 24 मई, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (पुराना रारा-9) के विजयवाड़ा- मछलीपट्टनम सेक्शन के डिजाइन कि.मी. 0.000 से डिजाइन कि.मी. 64.611 (विद्यमान चैनेज 0.000 कि.मी. से 63.800 कि.मी. तक) तक चार अथवा अधिक लेन और 17.528 कि.मी. संरचना (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) की समकक्ष लंबाई (जिनकी कुल लंबाई 1.7528 कि.मी. है) सहित सड़क खंड की निवल लंबाई 47.291 कि.मी. के उपयोग के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% की दर से और 4 बाइपासों जिनकी लंबाई 15.5672 कि.मी. है (प्रत्येक की लागत 10 करोड़ से अधिक है) के उपयोग के लिए आधार दर के 150% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को, संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्;

## सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात्;

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कृष्णा जिले में दावलुरु गाँव के पास, रारा-65 के 17.500 कि.मी. पर (डिज़ाइन चैनेज 18.000 कि.मी. पर)	47.291	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	डिज़ाइन चैनेज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
कृष्णा जिले में दावलुरु गाँव के पास, रारा-65 के 17.500 कि.मी. पर (डिज़ाइन चैनेज 18.000 कि.मी. पर)	कांकीपाडु बाइपास (12.800 कि.मी. से 16.000 कि.मी. तक )	3.200	55.91	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों के 100% का 1.5 गुना)
	मनताडा बाइपास (28.200 कि.मी. से 31.200 कि.मी. तक )	2.899	57.41	
	पामरु बाइपास (35.200 कि.मी. से 42.850 कि.मी. तक )	7.5288	118.61	
	सुल्तानगरम बाइपास (62.400 कि.मी. से 64.400 कि.मी. तक )	1.9394	36.96	
	<b>कुल</b>	<b>15.5672</b>	<b>268.89</b>	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मी से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्द और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
कृष्णा जिले में दावलुरु गाँव के पास, रारा-65 के 17.500 किमी पर (डिज़ाइन चैनेज 18.000 किमी पर)	1.7528 किमी*	17.528	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

\*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का व्यौरा निम्नलिखित है:

क्र० सं०	नाम और संरचना का अवस्थान (डिज़ाइन चैनेज)	लंबाई (किमी)
1.	रारा-16 (पुराना रारा-5) पर बेंज़ सर्कल फ़्लाईओवर जो रमेश हॉस्पिटल चैनेज 1097.000 से आरंभ होकर बेंज़ सर्कल जंक्शन 1098.120 पर मिलता है और जिसकी लागत 73.28 करोड़ रुपए है।	1.470
2.	बड़ा पुल 29.755 किमी से 29.856 किमी तक	0.101
3.	बड़ा पुल 37.332 किमी से 37.392 किमी तक	0.0606
4.	बड़ा पुल 42.357 किमी से 42.417 किमी तक	0.0606
5.	बड़ा पुल 64.125 किमी से 64.185 किमी तक	0.0606
<b>कुल</b>		<b>1.7528</b>

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों, के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के

लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1(ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।
11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1540.82 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/810/सीओ/18-19/जीसी विजयवाडा-मछलीपट्टनम]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2019

**S.O. 1667(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2756(E) dated 22<sup>nd</sup> November, 2012 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from 0.000 to km 65.000 (Vijayawada to Machilipatnam section) of National Highway No. 9 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of the notification bearing No. S.O. 1356(E) dated 24<sup>th</sup> May, 2013, the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 47.291 km and for total equivalent length of structure (having more than 60 m length) of 17.528 km (having total length of 1.7528 km) and at one and one-half times of the base rates for 4 nos. of bypasses having length 15.5672 km (each costing more than 10 crore) on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for the use of four or more lane of Vijayawada to Machilipatnam section from design kilometer 0.000 to design kilometer 64.611 (Existing Chainage from km 0.000 to km 63.800) of National Highway number 65 (Old NH-9) in the State of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

**TABLE 1**

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 17.500 (Design chainage at km 18.000) Near Davuluru Village in Krishna District of NH-65	47.291	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Fee Plaza for the length of bypass(es) specified for such Fee Plaza(s):-

Location of Fee Plaza (chainage)	Names of Bypass with Design Chainage	Length and cost of Bypass for which additional fee is payable		Rate at which Fee is payable
		Length (in Km)	Cost (Rs. in Crore)	
At km 17.500 (Design chainage at km 18.000) Near Davuluru Village in Krishna District of NH-65	Kankipadu Bypass (from km 12.800 to km 16.000)	3.200	55.91	1.5 times of 100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Mantada Bypass (from km 28.200 to km 31.200)	2.899	57.41	
	Pamarru Bypass (from km 35.200 to km 42.850)	7.5288	118.61	
	Sultanagaram Bypass (from km 62.400 to km 64.400)	1.9394	36.96	
	<b>TOTAL</b>	<b>15.5672</b>	<b>268.89</b>	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 17.500 (Design chainage at km 18.000) Near Davuluru Village in Krishna District of NH-65	1.7528 km*	17.528	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

\* The details of >60m structure is as under:

S. No.	Name and Location of Structure (Design Chainage)	Length (km)
1	Benz circle flyover along NH-16 (Old NH-5) taking off point Ramesh Hospital ch. 1097.000 to merging point Benz circle junction 1098.120 costing Rs. 73.28 crore	1.470
2	Major Bridge from km 29.755 to km 29.856	0.101
3	Major Bridge from km 37.332 to km 37.392	0.0606
4	Major Bridge from km 42.357 to km 42.417	0.0606
5	Major Bridge from km 64.125 to km 64.185	0.0606
	<b>TOTAL</b>	<b>1.7528</b>

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 255/- (Rupees Two Hundred and Fifty Five only) for the year 2018-19, which is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1540.82 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/810/CO/18-19/GC-Vijayawada-Machilipatnam]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.